न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 966 / 20 / अजमेर (2020 / 00966)

विभागीय अपील द्वारा श्री राजीव दुबे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टॉडगढ़ जिला अजमेर विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर आदेश क्रमांक एफ( )जिपअ / स्था. / 2019 / 1717 दिनांक 06–08–2019 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री राजीव दुबे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टॉडगढ़ जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 10.03.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के आदेश दिनांक 06–08–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी के नाम पत्र क्रमाक जिपअ / संस्थापन / 2019 / 1523 दिनांक 18–07–2019 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा ग्राम पंचायत के बिलों का भुगतान बिना ग्राम पंचायत की बैठक के अनुमोदन के ही किया जा रहा है जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 की स्पष्ट अवहेलना की गयी है। इस कृत्य के लिये आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या–दो</u>

यह है कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 में बिना बजट पारित कराये ही राशि का भुगतान किया जा रहा है जो कि लेखा नियमों की अवहेलना है। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या–तीन</u>

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा दस दुकाने किराये पर दी गयी है। उक्त दुकानों को किराये पर देने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 164 की पालना नहीं की गई है। दुकान किराया पंजिका संधारित नहीं की गई है जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि किस दुकान का किराया कब से बकाया चल रहा है। किराया वसूली हेतु आप द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या–चार</u>

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा स्थाई स्टॉक पंजिका का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया है जिससे वर्षभर में कितनी सामग्री कौन–कौनसी क्रय की गयी। जिसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या–पांच</u>

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 में आमंत्रित की गयी निविदाओं की राशि से लगभग सामग्री पांच गुणा क्रय की गयी। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या–छः</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में 06 हैण्डपम्प निर्माण चौकली नगरी, गुर्जर गम्मा, शमशान घाट, स[illegible] रेल, लुणेता शमशान घाट, शाला देवरिया सड़क पर मूंगा मगरी में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य कराया गया जिसका मूल्यांकन बिल के अनुसार ही जेटीए द्वारा मूल्यांकन पुस्तिका में अंकन किया गया

जो कि नियमानुसार सही नहीं है। आप द्वारा एमबी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के स्थान पर जेटीए से भरवाने के उक्त कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–सात

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्यो में से नमूना जांच के लिए तीन कार्यो की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रयुक्त सामग्री से अधिक का उपयोग कर ग्राम पंचायत को राजस्व हानि पहुंचाई है। उक्त कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

क्रस	कार्य का नाम	अधिक प्रयोग में लायी गयी सामग्री का विवरण	कुल राशि
1.	मुख्य सड़क से अमरातों का बाड़िया की ओर सीसी सड़क मय नाली निर्माण	1. सीमेंट के 84 कट्टे प्रति दर 290 2. बजरी 6.30 घन मीटर 525 प्र. घ.मी. 3. गिट्टी 40 एमएम 7.47 घन मीटर प्रति 800/– घ.मी. 4. गिट्टी 20 एमएम 2.99 घन मीटर प्रति 830/– घ.मी. योग	24360/– 3354/– 5976/– 2482/– 36172/–
2.	चांदातों की बेर में सीसी सड़क निर्माण	1. सीमेंट के 113 कट्टे प्रति दर 290 2. बजरी 9.40 घन मीटर 525 प्र. घ.मी. 3. गिट्टी 40 एमएम 11.53 घन मीटर प्रति 800/– घ.मी. 4. गिट्टी 20 एमएम 7.93 घन मीटर प्रति 830/– घ.मी. योग	32770/– 4935/– 9224/– 6582 53511/–
3.	चांदातों की बेर–गलियों में सीमेंट सड़क निर्माण	1. सीमेंट के 57 कट्टे प्रति दर 290 2. बजरी 4.66 घन मीटर 525 प्र. घ.मी. 3. गिट्टी 40 एमएम 05.57 घन मीटर प्रति 800/– घ.मी. 4. गिट्टी 20 एमएम 3.69 घन मीटर प्रति 830/– घ.मी. योग	16530/– 2446/– 4456/– 3063/– 26495/–

आरोप संख्या–आठ

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा ग्राम पंचायत में करवाये गये निर्माण कार्यो में प्रयुक्त हुए सीमेंट के खाली कट्टों का निस्तारण नहीं किये जाने से ग्राम पंचायत को राजस्व हानि पहुंचाई है। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

आरोप संख्या–नौ

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा कार्यो के बिलों का भुगतान माप पुस्तिका में बिना पारित आदेश के ही किया गया है जो कि एक अनियमितता है। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–दस

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आपके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा आमंत्रित निविदा में निविदादाताओं से पांच प्रतिशत धरोहर राशि के स्थान पर 02 प्रतिशत धरोहर राशि जमा की गयी है जो कि एक गंभीर अनियमितता है। आप द्वारा धरोहर पंजिका संधारित नहीं करना पाया गया है। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–ग्यारह

यह कि आपके ग्राम पंचायत टॉडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान ग्राम पंचायत के बिलों के अवलोकन पर पाया गा कि बिना स्टॉक प्रविष्टि के ही आप द्वारा भुगतान किया जा रहा है। जो कि एक गंभीर अनियमितता है। जबकि नियमानुसार बिना स्टॉक प्रविष्टि के बिलों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस कृत्य के लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 02–08–2019 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई उपरान्त अपीलार्थी पर आयत आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के उक्त दण्डादेश दिनांक 06–08–2019 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी गाम सेवक को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर का आदेश दिनांक 06–08–2019 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रकिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 1 के संबंध में कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में जो नियम का उल्लेख किया गया है उसमें आरोप की विषय वस्तु ही नहीं है। नियम 141 भूमि के कय से संबंधित है न कि बिलों के भुगतान के बारे में। किसी पंचायत द्वारा भूमि के सभी विकय साधारण तथा निलाम के माध्यम से किये जायेंगे। जब तक ऐसा नहीं करने के विशेष कारण न हो। पंचायत ऐसी भूमियों का अग्रिम रूप नियत किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021-04-09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

गये निलामी कार्यक्रम के माध्यम से विक्रय करने का विनिश्चिय कर सकेगी। जहां तक बिलों के भुगतान का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बने नियम 1996 में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि बिलों का भुगतान ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बिना नहीं किया जावे। बिलों का भुगतान तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर किया जाना वांछनीय होता है, ताकि पंचायत के विकास कार्यो में कोई अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न न हो। बिलो का पंचायत की मंजूरी से ही भुगतान किया गया है इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं की गई है। अतएव लगाया गया आरोप बेबुनियाद होने के कारण निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 2 के संबंध में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बजट बनाकर पंचायत समिति में प्रस्तुत कर दिया जाता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन ग्राम सभा से करवाया जाकर ही कार्य कराये जाते है। इन कार्यो का समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण भी करवाया जाता है। आलोच्य वर्षो में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः आरोप निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 3 के संबंध में कथन किया कि किराये पर दस दुकाने मेरे कार्यग्रहण से पूर्व दे दी गई थी। प्रार्थी द्वारा कार्यग्रहण करने पर वर्ष 2015–16 से किराया पंजिका का संधारण है। पूर्व में किराये रजिस्टर का संधारण नहीं होने से मालूम नहीं हो रहा था कि किस दुकान का कितना किराया कितने समय से बकाया चल रहा है फिर भी अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर संबंधित दुकानों के किरायेदारों को नोटिस देकर राशि रूपयें 1,39,200/– वसूल किये है। वर्तमान में जनवरी, 2020 तक सभी दुकानों का किराया जमा करवाया जा चुका है। किराया पंजिका वर्तमान में पूर्ण रूप से संधारित है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 4 के संबंध में कथन किया कि पूर्व से ही ग्राम पंचायत में वर्कवाईज फाईल उसी वर्क से संबंधित स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया हुआ था। प्रार्थी ने उसी अनुसार वर्कवाईज स्टॉक रजिस्टर तैयार किया। निरीक्षण/ऑडिट रिपोर्ट में न तो सुझाव दिये गये न ही आपत्ति उठाई गई। वर्तमान में सुझाव [illegible] स्टॉक रजिस्टर सामग्री मदवार संधारित किये जा रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 5 के संबंध में कथन किया कि आलोच्य वर्षो में ग्राम पंचायत में पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यो एवं नवीन कार्यो का ब्यौरा तैयार किया जाकर इनकी अनुमानित व्यय राशि ग्राम

सभा में अनुमोदन पश्चात पंचायत समिति को प्रस्तुत कर दिया गया था। निविदा आमंत्रण का कार्य पंचायत समिति स्तर से किया जाता है। उपलब्ध राशि एवं विभिन्न योजनाओं में सामग्री की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामग्री क्रय की गई । ग्राम पंचायत की स्वयं की मांग अर्थात पूर्व में चालू कार्य व नवीन कार्य, सांसद मद, विधायक मद , जिला परिषद एवं पंचायत समिति के स्तर पर स्वीकृत कार्यो के समग्र रूप से ध्यान में रखकर जनहित में निर्माण कार्य करवाये जाते है एवं इसी अनुरूप सामग्री पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर श्रम एवं सामग्री को ध्यान में रखते हुए कार्यो की आवश्यकतानुसार क्रय की गई है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 6 के संबंध में कथन किया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्राम पंचयत में करारये गये हैण्डपम्प की एमबी का मूल्यांकन जेटीए द्वारा किया गया है जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 36/18 दिनांक 27–3–2018 तक जेटीए को कार्य का मूल्यांकन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रदत्त था।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 7 के संबंध में कथन किया कि उक्त वर्णित तीन कार्यो पर मूल्यांकन में आंकलन सामग्री की राशि से वास्तविक व्यय राशि कम है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 8 के संबंध में कथन किया कि सीमेंट के खाली कट्टे बारदाने के रूप में दुबारा काम में लाये जाने योग्य नहीं होते है एवं टॉड़गढ़ जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षैत्र में स्थानीय खरीददार नहीं मिलते है इस कारण खाली कट्टे ग्राम पंचायत के स्टोर में सुरक्षित रखे जाते है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति तालाब/नाड़ी के हिसाब से 200 कट्टे रेत से भरवाकर बाढ़ बचाओं कार्य हेतु पाल के पास रखवाए जाते है। जो कट्टे स्वतः ही पुनः बेचने योग्य नहीं रहते है एवं ग्राम पंचायत में बड़ी नाड़ी एवं तालाबों की संख्या लगभग 10 है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 9 के संबंध में कथन किया कि ग्राम पंचायत में करवाये [illegible] की माप पुस्तिका में किसी एक कार्य पर पारित आदेश का अंकन नहीं किया [illegible] मात्र लिपिकीय भूल थी जिसे ठीक कर दिया गया है तथा सभी कार्यों के माप पुस्तिका में पारित आदेश का अंकन कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 10 के संबंध में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान में धरोहर पंजिका संधारित कर ली गई है एवं ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री क्रय करने हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। पंचायत समिति ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करती है और वहीं से दरे अंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। फर्म की पूर्व वर्ष की धरोहर राशि जमा थी जिसका समायोजन कर लिया गया था एवं वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो चुका था।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 11 के संबंध में कथन किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी बिलों का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर भुगतान किया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 06–08–2019 अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में लगाये गये आरोप के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि प्रार्थी ने अपने जवाब के पक्ष में किसी भी प्रकार का दस्तावेज, बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति संलग्न नहीं की है। आरोप संख्या 2 के प्रतिउत्तर में जवाब के साथ अनुमोदित बजट की प्रति संलग्न नहीं करने के कारण आरोप प्रमाणित माना गया था। प्रार्थी द्वारा आरोप संख्या 3 के क्रम में किराया वसूली का मांग रजिस्टर व मांग पर्ची तथा रोकड़ पुस्तिका में वसूल किये गये दुकान किराया की प्रविष्ठ की प्रति संलग्न नहीं की गई। आरोप संख्या 4 के क्रम में प्रार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण करने हेतु निरीक्षण/ऑडिट/तकनीकी लेखाधिकारियों द्वारा निर्देश नहीं दिये जाने से स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना उचित नहीं है। आरोप संख्या 5 के क्रम में प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आमंत्रित की गई निविदा की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 में लगभग पांच गुणा राशि की सामग्री क्रय की गई है जो लेखा एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना है। आरोप संख्या 6 के क्रम में प्रार्थी द्वारा अन्य पंचायतों का उदाहरण देकर एवं जानकारी होने पर भी जेटीए से मूल्यांकन करवाकर इसी आधार पर भुगतान किया जाना नियमानुसार गलत है। आरोप संख्या 7 के अनुसार प्रार्थी द्वारा कार्य के मूल्यांकन में सामग्री के उपभोग के विवरण अनुसार ही भुगतान किया जाना चाहिए। जबकि प्रार्थी द्वारा सामग्री मूल्यांकन से अधिक का भुगतान किया गया [illegible] साथ ही आरोप संख्या 8 के क्रम में ग्राम पंचायत टॉडगढ में 4 [illegible] है। चार वर्ष में उक्त खाली कट्टों के निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गई। आरोप संख्या 9 के क्रम में कथन है कि प्रार्थी द्वारा कार्यो पर भुगतान पारित आदेश भुगतान के पश्चात अंकित किया जाना प्रार्थी की लापरवाही एवं नियमानुसार गलत कृत्य है। आरोप संख्या 10 के क्रम में प्रार्थी ने अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार किया है कि निविदादाता फर्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

से तीन प्रतिशत धरोहर राशि निर्धारित अवधि में नहीं ली है और निविदा अवधि भी समाप्त हो चुकी है। आरोप संख्या 11 के क्रम में प्रार्थी द्वारा अपने बचाव पक्ष में प्रतिउत्तर में स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरोप प्रमाणित माना गया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी ग्राम विकास अधिकारी को जारी आरोप पत्र व अपचारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् , अजमेर द्वारा अपीलार्थी पर 11 आरोप आयत किये गये थे जिनका प्रतिउत्तर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24—7—2019 को प्रेषित कर दिया गया था। मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अजमेर द्वारा अपीलार्थी पर 11 आरोप आरोपित किये गये जिनकी जांच किसी भी उच्चाधिकारी से नहीं करवाई गई एवं ना ही उक्त आरोपों की जांच करने हेतु कोई जांच अधिकारी नियुक्त कर कमेटी का गठन ही किया गया जिससे अपीलार्थी पर आयत आरोप सिद्ध व प्रमाणित माने जाये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा तीन कार्य जो करवाये गये थे उसमें मूल्यांकन राशि से कम राशि व्यय किया जाना स्पष्ट है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा किराये पर दस दुकाने कार्यग्रहण से पूर्व ही दिया जाना अवगत कराया है। प्रार्थी द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात वर्ष 2015—16 से किराया पंजिका का संधारण किया जा रहा है। पूर्व में किराये रजिस्टर का संधारण नहीं होने से मालूम नहीं हो रहा था कि किस दुकान का कितना किराया कितने समय से बकाया चल रहा है फिर भी अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर संबंधित दुकानों के किरायेदारों को नोटिस देकर राशि रूपयें 1,39,200/— वसूल किये है। वर्तमान में जनवरी, 2020 तक सभी दुकानों का किराया जमा करवाया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य वर्षो में ग्राम पंचायत में पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यो एवं नवीन कार्यो का ब्यौरा तैयार किया जाकर इनकी अनुमानित व्यय राशि ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात पंचायत समिति को प्रस्तुत कर दिया गया था। निविदा आमंत्रण का कार्य पंचायत समिति स्तर से किया जाता है। उपलब्ध राशि एवं विभिन्न योजनाओं में सामग्री की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामग्री क्रय की गई । ग्राम पंचायत की स्वयं की मांग अर्थात पूर्व में चालू कार्य व नवीन कार्य, सांसद मद, विधायक मद , जिला परिषद एवं पंचायत समिति के स्तर पर स्वीकृत कार्यो के समग्र रूप से ध्यान में रखकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

जनहित में निर्माण कार्य करवाये जाते है एवं इसी अनुरूप सामग्री पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर श्रम एवं सामग्री को ध्यान में रखते हुए कार्यो की आवश्यकतानुसार क्रय की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्राम पंचयत में करारये गये हैण्डपम्प की एमबी का मूल्यांकन जेटीए द्वारा किया गया है जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 36/18 दिनांक 27–3–2018 तक जेटीए को कार्य का मूल्यांकन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रदत्त था जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर के साथ प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र से स्पष्ट है।

अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप बाबत किसी भी उच्चाधिकारी से अथवा कोई जांच कमेटी गठित कर जांच नहीं करवाई गई जिसके अभाव में आरोप प्रमाणित नहीं होते है। अतः श्री राजीव दुबे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टॉडगढ़ जिला अजमेर के विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 17 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 06–08–2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी श्री राजीव दुबे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टॉडगढ़ जिला अजमेर की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन दण्डादेश क्रमांक एफ ( )जिपअ/स्था/2019/1717 दिनांक 06–08–2019 प्रक्रिया की पालना के अभाव में विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है ।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:38:34 IST
Reason: SelfAttested